रजिस्टर्ड डाक

न्यायालय प्रकरण / अतीतत्काल

फा. सं. 14/74/07-एस.आर.(एस.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 05 अगस्त, 2014

आदेश

विषय:- श्री बी.एल. ठाकुर, श्री सुरेश बाबू शर्मा और श्री आर.सी. चन्द्राकर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, किसान कल्याण एंव कृषि विकास विभाग का मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के लिए राज्य पुनरावंटन हेतु आदेश।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.11.2011 के अनुपालन में श्री रेवा राम यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, किसान कल्याण एंव कृषि विकास विभाग के अभ्यावेदन पर सलाहकार समिति की 24वीं बैठक में विचार किया गया था जो कि दिनांक 13.05.2014 को भोपाल, मध्यप्रदेश में आयोजित की गयी थी। उक्त अभ्यावेदन में श्री यादव ने यह मुद्दा उठाया था कि उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश राज्य आवंटित है।

2. श्री रेवा राम यादव (वरिष्ठता क्रमांक-1780) के प्रशासी विभाग द्वारा समिति के सम्मुख प्रस्तुत उक्त तीन कर्मचारियों से संबन्धित जानकारी निम्नानुसार हैं:

(i) श्री बी.एल. ठाकुर (वरिष्ठता क्रमांक-1848) का नाम प्रस्तावित अंतिम आवंटन सूची (TFAL) में कृषि विस्तार अधिकारी संवर्ग के वेतन समूह 4500-7000 में वरिष्ठता क्रमांक 2404ए पर अंकित होने तथा इस समूह में वरिष्ठ होने से मध्यप्रदेश राज्य आवंटित हुआ था। जबकि इनका राज्य आवंटन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संवर्ग के वेतन समूह 5000-8000 में होना था।

(ii) श्री सुरेशबाबू शर्मा (वरिष्ठता क्रमांक-1850) का नाम प्रस्तावित अंतिम आवंटन सूची (TFAL) के वेतन समूह 5000-8000 में वरिष्ठता क्रमांक 1850 के स्थान पर त्रुटिवश 188 अंकित होने तथा इस समूह में वरिष्ठ होने से मध्यप्रदेश राज्य आवंटित हुआ था।

(iii) श्री आर.सी. चन्द्राकर (वरिष्ठता क्रमांक-1965) का नाम प्रस्तावित अंतिम आवंटन सूची (TFAL) में कृषि विस्तार अधिकारी संवर्ग के वेतन समूह 4500-7000 में वरिष्ठता क्रमांक 2138 पर अंकित होने तथा इस समूह में वरिष्ठ होने से मध्यप्रदेश राज्य आवंटित हुआ था। जबकि इनका भी राज्य आवंटन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संवर्ग के वेतन समूह 5000-8000 में होना था।

प्रशासी विभाग के कथनानुसार उक्त तीनों कर्मचारियों के अभिलेखों के सत्यापन एंव वरिष्ठता/वेतन समूह संशोधन के उपरान्त भी तत्कालीन राज्य सलाहकार समिति द्वारा इनका राज्य आवंटन बदला नहीं गया था और अंतिम आवंटन सूची में इन तीनों कर्मचारियों का राज्य आवंटन मध्यप्रदेश राज्य रखा गया था।

क्रमशः 2.....

3. समिति की बैठक में श्री रेवा राम यादव के प्रशासी विभाग द्वारा प्रस्तुत मंतव्यों के आलोक में यह पाया गया कि श्री यादव से कनिष्ठ तीन कर्मचारियों में से श्री बी.एल. ठाकुर और श्री आर.सी. चंद्राकर को गलत वेतन समूह और श्री सुरेश बाबू शर्मा को वरिष्ठता सूची में गलत स्थान पर दर्शाये जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य आवंटित किया गया था। समिति की अनुशंसा निम्नलिखित है:

"In compliance of directions of the Hon'ble High Court of M.P. dated 15.11.2011, the representation of Shri Yadav was considered by the Committee, Shri Yadav raised the ground of allocation of 13 junior SADOs to the State of M.P. The Administrative Department having re-examined the representation, informed that 10 junior SADOs were allocated to Madhya Pradesh as they were going to retire in next two years from the appointed day. Remaining three were allocated to M.P. due to various reasons. Administrative Department further clarified that initially, the name of Shri B.L. Thakur (Sr. Rank 1848) was not included in the TFAL. While his name was included in FAL after amendment in the seniority rank. He was wrongly allocated to M.P. on the basis of incorrect seniority rank. Shri Suresh Babu Sharma was allocated to M.P. being senior in the pay scale of Rs. 5000-8000 on the basis of wrong seniority rank due to data feeding error. His seniority rank was erroneously shown 188 in place of 1850. Name of Shri R.C. Chandrakar (Sr. Rank 1965) was included in the TFAL of RAEOs receiving the pay scale of Rs. 4500-7000 showing incorrect seniority rank 2138. Being senior in the cadre of RAEOs Shri Chandrakar was allocated to M.P. It was observed that all these facts were brought to the notice of the then State Advisory Committee during the final allocation of employees but the Committee decided that the allocation of above said three juniors need not be changed.

The Committee after perusing the facts explained by the Administrative Department as well as Department of General Administration, Govt. of M.P. and Chhattisgarh, viewed that decision of the then State Advisory Committee, not to change allocation of Shri B.L. Thakur, Shri Suresh Babu Sharma and Shri R.C. Chandrakar was not in order. Therefore, the Committee recommended correction of the allocation of above said three SADOs viz. Shri B.L. Thakur, Shri Suresh Babu Sharma and Shri R.C. Chandrakar by revising their allocation from M.P. to Chhattisgarh. After revising allocation of above said three SADOs to Chhattisgarh, the ground raised by Shri Yadav would no longer sustain. In the light of the above facts, the Committee recommended rejection of representation of Shri Rewa Ram Yadav, SADO for revision of allocation from Chhattisgarh to M.P. after issue of order for revision of allocation of Shri B.L. Thakur, Shri Suresh Babu Sharma and Shri R.C. Chandrakar, all SADOs from M.P. to Chhattisgarh."

4. प्रशासी विभाग द्वारा प्रस्तुत मंतव्यों पर समिति द्वारा विचार किया गया और यह पाया गया कि श्री बी.एल. ठाकुर, श्री सुरेश बाबू शर्मा और श्री आर.सी. चन्द्राकर का राज्य आवंटन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संवर्ग के वेतन समूह 5000-8000 में कनिष्ठता के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य होना था किन्तु उपरोक्त कर्मचारियों के अभिलेखों के सत्यापन एंव. वरिष्ठता/वेतन समूह संशोधन के उपरान्त भी तत्कालीन राज्य सलाहकार समिति द्वारा इनका राज्य आवंटन मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य हेतु नहीं बदला गया और अंतिम आवंटन सूची में इन तीनों कर्मचारियों का राज्य आवंटन मध्यप्रदेश राज्य रखा गया। जो कि राज्य पुनर्गठन के नीति-निर्देशों के तहत नहीं था।

क्रमशः 3.....

5. उपरोक्त के आलोक में वर्तमान सलाहकार समिति ने उक्त तीनों कर्मचारियों का राज्य पुनरावंटन मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य किए जाने कि अनुशंसा की हैं। सलाहकार समिति की अनुशंसा को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि श्री बी.एल. ठाकुर, श्री सुरेश बाबू शर्मा और श्री आर.सीं. चन्द्राकर का राज्य आवंटन मध्यप्रदेश राज्य से बदल कर छत्तीसगढ़ राज्य किया जाए।

भवदीय,

O/C

Deptt. of Personnel & T. L.N Bhawan
Receipt & Issued Section
06 AUG 2014
जारी किया/ISSUED

(अशोक कुमार मल्होत्रा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष -24651898

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462 004.
2. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, डी.एस.के. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001.
3. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश-462 004.
4. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, डी.एस.के. भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़ - 492001.